निगरानी / टीए / 3236 / 2005 / भरतपुर
रामदेई बनाम रामबाबू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 08–09–2025

निर्णय

यह निगरानी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 61 / 05 उनवानी रामबाबू बनाम रामदेई में पारित आदेश दिनांक 14–06–2005 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वर्तमान गैर–याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं और भीम नामक तीन अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ खातेदारी अधिकारों की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत किया।

वाद में उपर्युक्त तीनों प्रतिवादियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वर्तमान गैर–याचिकाकर्ता / वादीगण अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए समय–सीमा के भीतर कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे। याचिकाकर्ताओं ने 28–01–2002 को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि भीम सिंह और श्रीमती अशर्फी की मृत्यु क्रमशः लगभग चार वर्ष और छह वर्ष पूर्व हो चुकी। इसी प्रकार, यह भी कहा गया कि प्यारे के पुत्र छिदा की भी लगभग दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है और यह प्रार्थना की गई कि मुकदमे को उपशमित मानते हुए खारिज कर दिया जाए, क्योंकि वादीगण मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 02–02–2002 के आदेश द्वारा वाद को उपशमित मानते हुए खारिज कर दिया। तत्पश्चात, वर्तमान अप्रार्थीगण ने आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर वाद को खारिज करने का निवदेन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा अवैध रूप से स्वीकार कर लिया। दिनांक 14–06–2005 के आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के प्रावधानों को गलत व्याख्या की है। जो वाद को व्यतिक्रम के आधार पर खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए है। इस मामले में, वाद व्यतिक्रम के आधार पर खारिज नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि वाद में वादी रहे गैर–याचिकाकर्ता उपर्युक्त तीनों मृतक प्रतिवादियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को समय पर पेश करने में विफल रहे थे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है। यह सुस्थापित कानून है कि यदि कोई प्रार्थनापत्र, अपील आदि समय सीमा के बाहर प्रस्तुत किया जाता है, तो माननीय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पहले समय सीमा के मुद्दे पर निर्णय दे और जब तक पर्याप्त कारण दर्शाकर विलंब को क्षमा नहीं किया जाता, तब तक न्यायालय प्रार्थनापत्र या अपील पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता। वर्तमान मामले में, विलंब क्षमा हेतु कोई आवेदन अभिलेख में नहीं था और अधीनस्थ न्यायालय ने 02–02–2002 के उस आदेश को निरस्त करके घोर अवैधता की है जिसके द्वारा वाद को उपशमित मानकर खारिज कर दिया गया।

यह सुस्थापित कानून है कि माननीय न्यायालय पक्षकारों की दलीलों से आगे नहीं जा सकते और आवेदक द्वारा दावा न किया गया अनुतोष भी नहीं दिया जा सकता। इस मामले में, अप्रार्थीगण द्वारा न तो उपशमन को रद्द करने की प्रार्थना की गई और न ही मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को अभिलेख में दर्ज करने की प्रार्थना की गई, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित कर दिया।

अतः उक्त संशोधन को स्वीकार कर दिनांक 14–06–2005 के आदेश को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषक अप्रार्थी ने निगरानीधीन आदेश को उचित व कानून सम्मत बताया जिसमें कि इस निगरानी के माध्यम से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–06–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–06–2025 को जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है क्योंकि उन्होंने अपने आदेश में अंकित किया है किसी भी प्रकरण में अन्य पक्षकारान उपस्थित हो तो दावे को अबेट नहीं किया जाना चाहिए वरन उसे गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। यदि दावे को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा जो वादी के अधिकारों का हमेशा–हमेशा के लिए अवसान हो जाएगा जो न्याय की मान्यता नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–06–2005 विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं जिससे कि निगरानी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	